HRA AN UNIVERSALE STANDING The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 231

नई बिल्ली, शानिवार, जून 7, 1975/ क्येष्ठ 17, 1897

No. 231

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 7, 1975/JYAISTHA 17, 1897

धत भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह जिल्ला संकलन के क्य में रखा जा सके । Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—**गण्ड** 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गयें सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

(321)

रका मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1975

का शिव्या 198. के न्द्रीय मरकार, छावनी प्रधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में यह प्रधिसुचित करती है कि लेफ्टीनेंट कर्नल ए० डब्ल्यू० वेसाई (सेवा निवृत्त) की सदस्यता के पद के समय के बीत जाने के कारण छावनी बोर्ड बेलगाव की सदस्यता में रिक्त हुई है।

[फा॰ सं॰ 19/31/ सी/एल और सी /65/1392-सी/डी (क्य और सी)}

New Delhi, the 25th April, 1975

S.R.O. 198.—In pursuance of sub-section 7 of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occured in the membership of the Cantonment Board, Belgaum by reason of the efflux of time in the office of membership of Lt. Cod. A. W. Desai (Retd.)

[File No. 19/31/C/L&C/65/1392-C/D (Q&C)]

का॰ नि॰ क्रा॰ 199. — केन्द्रीय सरकार, छावनी ग्रीधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के प्रमुसरण में यह अधिसूचित करती है कि ले॰ कर्नल ए॰ डब्ल्यू॰ वेसाई (सेवा निवृत्त) को उनकी पदाविश्व की समास्ति के कारण हुई रिक्ति के स्थान पर स्टेशन के कमान ग्राफिसर द्वारा छावनी बोर्ड, बेलगाम के एक सबस्य के रूप में पुनः नाम निर्दिष्ट किया गया है।

[फाइल सं॰ 19/28/सी/एल ग्रीर सी/65/1392/1/मी/डी (क्यू ग्रीर सी)] एन० थी० स्वामीनाथन, ग्रवर सविव

S.R.O. 199.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col A. W. Desai (Retd.) has been re-nominated by the officer commanding the station as a member of the Cantonment Board, Belgaum against the vacancy caused on account of expiry of his term of office.

[File No. 19/28/C/L&C/65/1392/1/C/D (Q&C)]

N. V. SWAMINATHAN, Under Secy.

31 GI/75-1.

नई विल्ली, 23 मई, 1975

का॰नि॰मा॰ 200--राष्ट्रपति, संविधान के धनुष्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सगस्त्र बल, जिकित्सीय सेवा, महाविधा-सय की निम्नसर विरचनाधों में काष्ट्रकार, काष्ट्रकार और योजक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नसिखित नियम बनाते हैं प्रथीत्:--

- 1. संक्षिप्त नाम ग्रीर प्रारम्भ (1) इन नियमों का नाम सगस्त्व बल चिकित्सीय सेना, महाविद्यालय (काष्ट्रकार, काष्ट्रकार ग्रीर योजक) भर्ती निमम 1975 है।
 - (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. संख्या, वर्गीकरण भीर बेतनमान—उक्त पदो की संख्या, उनका वर्गीकरण श्रीर उनके बेतनमान वे होंगे जो उक्त भनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धति, श्रायुत्तीमा श्रीर श्रर्हेसाएं---उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, श्रायुत्तीमा, श्रर्हताएं श्रीर उनसे संबन्धित श्रन्य बातें वे होंगी जो उक्त श्रनु-सूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है।
 - 4 निर्श्तेताएं---वह व्यक्ति---
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने भ्रपने पति या श्रपनी पत्नी के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदो पर में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नही होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐमा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के श्रन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के श्रधीन श्रनुक्षेय है और ऐसा करने के लिए श्रन्य श्राधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना श्रावश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदो की बाबत, ग्रादेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्याकृत्ति—इन नियमो की कोई भी बात ऐसे भ्रारक्षणो भौर भ्रन्य रियायलों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबन्ध में समय-समय पर निकाले गए भ्रावेशों के श्रनुसार श्रनुसूचित जातियों, श्रनुसूचित जनजातियों भौर भ्रन्य विशेष प्रवर्गों के ब्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना भ्रपेक्षित है।

धनुसूची

पद कानाम	पदों की संख्या	संख्या ग्राचयन पद वाले व्यक्ति		सीधे भर्ती किये वाले व्यक्तियो धायु, सीम	यो के लिए लिए शैक्षिक भौर भन्य भईसाए			
1	2		3	4	5	6		7
काष्ट्रकार	5	रक्षा सेवाम्र सिविलियन भौधोगिक, पत्नित	, वर्ग 3,	210-4-226-द०रो 4-250-द०रो०-5 200 र०		18-25 वर्ष	' '	मक उत्तीर्ण कारी कार्य का कम से कम हा अनुभव ।
सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित भायु और गौक्षिक भहेताएं प्रोभ- तों की दशा में लागू होंगी या नही	परिवीक्षा भवधि या हो	देकोई स f f	ा प्रोक्षति नेयुक्ति/स्थान वेभिन्न पर	ति/भर्ती सीधे होगी द्वारा या प्रति- नान्तरण द्वारा तथा इतियो द्वारा भरी रिक्तियो का प्रनिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थ भर्ती की' दशा में बे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति किया जाएगा ।	श्रेणियां जिनसे	यदि विभागीय प्रोक्षति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा ग्रायोग से परामर्श किया जाएगा
8	9			10	11		1 2	13
नही	दो वर्ष	; i	जिसके न भर्ती द्वार		प्रोक्षित— निम्निलिखित प्रवर्गों से १ पर होगी— (i) ज्यापारी मेट झी उस श्रेणी में 3 वर्ष (ii) श्रमिक, जिन्होंने में 5 वर्ष सेवा की मेटो झौर पैकरों नही है । स्थानान्तरण रक्षा सेवाओं की निम्न में समरूप या समतु पर कार्य करने वार्	र पैकर जिसने सेवा की हो। ऐसी इकाइयों हो जहां श्रमिक के पद प्राधिकृत तर विरचनाम्रो स्य या ऊंत्रे पदो	वर्ग 3, विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता

3 1	2	3	4		5	6		7
काष्ट्रकार भौर योजक	21	रक्षा सेवाभों मे के सिविलियन, वर्ग 3, भौग्रोगिक भराजपत्रित	225-5-260-6-2 द०रो०-6-308		भ्रवयन	,		प्राथमिक उत्तीर्ण काष्ठकारी कार्यका कम से कम वर्षका ग्रमुभव।
3	9		10		11		12	13
नही	दो व	जिसके ना भर्ती द्वारा	स्थानान्तरण द्वारा हो सकने पर सीधी ग्रीर 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	पर ह (i) व्य इ (ii) ध	खित प्रयगौँ से होगा गपारी मेट श्रौ स श्रेणी में 3 गमिक जिल्होंने	इकाई के भाधार र पैकर जिन्होंने वर्ष सेवा की हो। ने ऐसी इकाइयों हो जहां व्यापारी	वर्ग 3 विभागीय प्रोम्नति समिति	लागू नही होता
					पैकरों के प	र्प्राधिकृत मही है	ξ I	
				रक्षा सेव में वै	त्रास्रों की निम	नसर विरचनाम्रों पुरुष या ऊंचे पदों से ध्यक्ति ।		

[फा० स०-11335/2/डी०जी०ए०एफ०एम०एस०/डी० जी०-2 बी०]

New Delhi, the 23rd May, 1975

- S.R.O. 200.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Carpenter and Carpenter and joiner in the lower formations of the Director General, Armed Forces Medical Services, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called The Director General, Armed Forces Medical Services (Carpenter and Carpenter and Joiner in lower formations) Recruitment Rules, 1975.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number, classification and scale of Pay.—The number of the posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualification.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
 - 4. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to any of the said posts.
 - Provided that the Central Government may if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- 5. Power to relax.—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or entegory of persons or posts.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Cential Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Num- ber of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non- selection po		Educational and other qualifica- tions required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Carpenter	5	Civilian in Defence Services Class III/ Industrial Nor Gazetted	Rs. 210-4-226-EB-4- 250-EB-5-290.	Non- selection	18—25 years	(i) Primary Pass(ii) Experience of Carpentry work for at least 2 years.
Carpenter and Joiner	21	Civilian in Defence Services Class III, Industrial Non-Gazetted	Rs. 225-5-260-6-290- EB-6-308.	Non- selection	1825 years	(i) Primary Pass(ii) Experience of Carpentry work for at least 5 years.

Whether age and educational qualifications prescribe for direct recruits will apply in the case of promotees	probation, ed if any	Method of recruitment whether by direct recruit- ment or by promotion or by deputation, or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	motion, or deputation or transfer, grades from which	mental Promo- tion Committee	consulted in making
8	9	10	11	12	13
No	Two years	50% by transfer failing which by direct recruitment and 50% by departmental promotion.	Promotion: To be on unit basis from the following categories: (i) Tradesman Mate and Packer with 3 years service in the grade. (ii) Labourers with 5 years service in units where posts of Tradesman Mates and Packers are not authorised. Transfer: Persons working in similar or equivalent or higher posts	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable .
No.	Two years	50% by transfer failing which by direct recruitment and 50% by departmental promotion	in the lower formation of Defence Services. Promotion: To be on unit basis from the following categories:— (i) Tradesman Mate and Packer with 3 years service in the grade.	Class III Departmental Promotion Committee	Not applicable.
			(ii) Labourers with 5 years service in units where posts of Tradesman Mates and Packer are not authorised. Transfer: Persons working in similar or equivalent or higher posts in the lower formations of Defence Services.	1	

[File No. 11335/2/DGAFMS/DG-2B]

नई दिल्ली, 26 मई, 1975

कार्शनिष्मा॰ 201—राष्ट्रपति, संविधान के म्रनुक्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेना म्राप्टिनेस कोर (वर्ग 3 म्रराज-पिवत) भर्ती नियम, 1969 में मौर संगोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, भ्रषातुः—

- 1. (1) इन नियमों का नाम सेना म्राडिनेंस कोर (वर्ग 3 मराजपित्रत) भर्ती नियम, 1975 है।
- (2) ये राजपन्न मे प्रकाशन की तारीस्त्र को प्रवृत्त होगे।
- 2 सेना मार्डिनेंस कोर (वर्ग 3 भराजपितत) भर्ती नियम, 1969 में :---
- (i) नियम 4 के परन्तुक का लोप किया जाएगा,
- (ii) नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा प्रथात् :---
- "5. निरर्हताएं.—बहु व्यपित—
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति वा जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने भ्रपने पति या भ्रपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पान मही होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के भ्रन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के भ्रधीन भ्रनुक्षेय है भौर ऐसा करने के लिए भ्रन्य भ्राधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।"

- (iii) नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, प्रथीत् :---
- "7. व्यावृत्ति ——इन नियमों की कोई भी बात ऐसे भारक्षणों भीर भ्रत्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय संरकार दारा इस संबन्ध में समय-समय पर निकाले गए प्रादेशों के भ्रनुसार भ्रनुसूचित जातियों, भ्रमुसूचित जनजातियों भ्रौर भ्रन्य विशेष प्रथगों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना भ्रपे- क्षित है।"
 - (iv) प्रनुसूची मे कल्याण पर्यवेक्षक (महिला) के पद भौर उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निस्नलिखित ग्रन्तस्थापित किया जाएगा, मर्थात्:—

				भनुसूची			
1		2	3	4	5		6
नर्स	लिय पहि	ा सेवाओं में सिवि- प्रन, वर्ग 3, श्रराज- ात, श्रनीद्योगिक ।जपत्रित	425-15-560-হ০ 20-640 ৼ ০	रो० लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष	या किसी	जिकत्सा या नींसग परिषद् ो भ्रखिल भारसीय निकाय स्ट्रीकृत होना चाहिये ।
7	8		9	10	······································	11	12
लागू नहीं होता	2 वर्ष		द्वारा, जिसके न हो प्रीधी भर्ती द्वारा	स्थानान्तरण : रक्षा सेवाभ्रों की निम्न में समस्प, समतुः श्रेणी में कार्य करने जो स्तम्भ 6 में रखते हो	त्य या उच्चतर वाले ऐसे व्यक्ति	लागू नहीं होता	सागू नही झोता

New Delhi, the 26th May, 1975

- S.R.O. 201.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the president hereby makes the following rules further to amend the Army Ordnance Corps (Class III Non-Gazetted) Recruitment Rules 1969, namely:—
 - (1) These rules may be called the Army Ordnance Corps (Class III Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1975
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- (2) In the Army Ordnance Corps (Class III Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1969:—
 - (i) the proviso to rules 4 shall be omitted,
 - (ii) for rules 5, the following shall be substituted, namely:—
 - "5. Disqualification-No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:
 - Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rules."
- (iii) after rule 6 the following shall be inserted, namely:—
 - "7. Saving—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Schedule castes and Schedule Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard."
- (iv) in the Schedule, to after the post of Welfare Supervisor (Women) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6
Nurses	Civilian in Do Services Cle Non-Minist Non-Indust Non-Gazet	ass III 640, terial trial	-EB-20- Not applicable	18 to 25 years	Should have been registered with the medical or the Nursing Council of the state or an all India Body
7	8	9	10	1	1 12
Not applicable	Two years	By transfer failing whic by direct recruitmen		ner grade nation of and pos- lifications	plicable Not applicable

का॰ नि॰ भा॰ 202,---राष्ट्रपति संविधान के श्रनुष्छेद 309 के परन्तुक द्वार। प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय के श्रधीन सैनिक प्रशिक्षण निवेशाक्षय में वर्ग 3 श्रीर वर्ग 4 के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, श्रथीत:--

- ा संक्षिप्त नाम ग्रीर प्रारम्भ .--(1) इन नियमों का नाम सैनिक प्रणिक्षण निवेशालय (वर्ग 3 श्रीर वर्ग 4 के पद) भर्ती नियम 1975 है।
- (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 2. लागृहोना .—ये नियम इससे जपाबद्ध धनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदो को लागृहोंगे।
- 3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :--- उक्त पदो की संख्या, वर्गीकरण और उनके वेतनमान वेहोंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।
- 4. भर्ती की पद्धति, श्रायु सीमा श्रौर श्रष्टतिएं श्रादि .—-उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, श्रायु सीमा, श्रष्टतिएं श्रौर उनसे सम्बन्धित श्रन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त श्रमुसुची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिविष्ट हैं।
 - 5. निरहताएं .--वह व्यक्ति ---
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या (ख) जिसने ग्रपने पति या ग्रपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों में से किसी पर भी नियुक्ति का पाल नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के प्रन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के प्रधीन धनुक्रोय है धौर ऐसा करने के घन्य घाधार भी है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति .--जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना श्रावश्यक या समीचीन है वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ष या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बावत श्रादेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति .--धन नियमों की कोई बात ऐसे भारक्षणों भीर श्रन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकालेगए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और श्रनुसूचित जनजातियो और अन्य त्रिनिविष्ट प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अयेक्षित है।

ग्रनसूची

				अनुपूषा				
पव का नाम	पदों की सख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद श्र च यन		सीधे भर्ती कि बाले व्यक्तियों ग्रायु-स	केलिए केकि	भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियं नएग्रीकिकग्रीरग्नन्यमर्हताएं
1	2	<u>3</u>	4	5		6		7
			तृ तीय	। श्रेणी पव				
 सहायक मास्टर (कला 1 ब्राइंग) 	लियन पत्रि त	सेवाधों में सिवि- वर्ग 3, भ्रराज- , भ्रनौद्योगिक सचिबीय	440-15-515-व० रो०-15-560-20- 700-व० रो०-25 750 च०		ीं होसा	1 ৪- 30 বর্জ	(क वास ((:	श्यक :) किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय या बोर्ड की उच्चतः माध्यमिक परीक्षा । ड्राइंग और चित्रणकला श्रो शिष्पकला में डिप्लोमा । क्रीय : 1) श्रंग्रेजी में प्रवीणता 2) खेलकूद में प्रवीणता 3) पाट्यतर क्रियाकलाप मे अन्
तीधे भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के लिए विहित भागुभौर शैक्षिक श्रह्तंताएं प्रोन्नतिकी दशा में लागूहोगी या नहीं	परिवीक्षा की भ्रवधि, यदि कोई हो	प्रतिनियुक्तिः, तथा विभिन्न	ति, प्रोन्नति द्वारा, स्थानान्तरण द्वारा पद्धतियो द्वारा भरी रिक्तियों का प्रतिशत	दशामें वे	श्रेणियां जि	ारा भर्ती की लिसे प्रोज्जिति या ानान्तरण किया	यदि विभागीय ! समिति है तो र सरघन।	उसकी स्थितियों में संघ लोग
8	.9		10		11		12	13
लागू नहीं होता	2 दर्ष		द्वारा, जिसके न हो सीधी भर्ती द्वारा	में समरू	प, समकुरू	तर विरचनामों य या उच्चतर नाले व्यक्तियां	लागू न हीं होत	ा सागू नहीं होता

BEC. 4] — —				A : JUNE /,			7
1	2	3		5			
 सप्तायक मास्टर (हस्तकला प्रशिक्षण/ दस्तकारी) 	5	रक्षा सेवाफ्रो में सिवि- लियन वर्गं II प्रियाज- पित्रत, प्रनौद्योगिक, ग्रननुसिववीय	440-15-515-व० सो०-15-560-20- 700-द० सो०-25- 750 रु०	लाग् नही होता	1 8-30 वर्ष	(स्त्र) वांछनी (1) (2)	किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय या बोर्ड की उच्चत माध्यमिक परीक्षा दस्तकारी में डिप्लोमा (काष् कला मिट्टी के मॉडल बना स्त्रौर मृदु पत्थर की नक्काशी।
3 महायक मास्टर	50	रक्षा सेवाम्रो में सिवि- लियन वर्ग III ग्रराज- पन्निस, ग्रनौद्योगिक, ग्रननुसचिवीय	440-15-515-द० रो०-15-560-20- 700-द० रो०-25- 750 क०	लागू नहीं होता	21-35 বর্ণ	(ন্ত্র)	किसी मान्यताप्राप्त विषय वेद्यालय से उपाधि तथा शिक्ष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मान्यस प्राप्त उपाधि दो वर्ष का ग्रध्यापन श्रम्
A		> ≥ Co-Co			01.05 74	बांछनी (क) (ख) (ग) (घ)	स्नातकोत्तर उपाधि श्रंग्रेजी में प्रवीणता खेलकूद में प्रवीणता पाट्यतर कियाकलाप ।
 अधिकाश्रास्त्रस्य अधिका 	10	रक्षा सेवाश्रों में सिवि- लियन वर्ग IIIश्रराज- पत्निन, ग्रनौद्योगिक, श्रननुसचिवीय	425-15-500-द० रो०-15-500-20- 700 ह०	चयन 	21-35 বর্জ	(ख) (ग)	विश्वविद्यालय की उपाधि
8	9		10	11		12	13
सागू महीं होता	2 वर्ष	स्थानतिरणः सकने पर	द्वारां, जिसके न हो सीधीभर्तीद्वारा।	स्थानांतरण : रक्षा सेवाग्नों की निम् में समरूप समतु श्रेणी में काम सेव में से।	ष्य या उ ण्य तर	लागू नही होता	लागू नहीं होता ।
लागू नही होता	2 वर्ष	स्थानान्तरण सकने पः	ा द्वारा जिसके न हो रसीधी भर्ती द्वारा	स्थानांतरण : रक्षा सेवाधों की निय में समरूप, समर्	न्ततर विरचनाम्रों पुरुष या उच्चतर ते वाले व्यक्तियों	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।
नहीं	2 वर्ष	पर स्था	ा, जिसके न हो मकते जातरण द्वारा द्यौर न हो सकने पर सीधी	प्रोप्तिः ऐसे उच्च श्रेणी लिपि उसश्रेणी में 7 वर्षे स्थानास्तरणः		वर्ग III विभागी	य समिति लाग नहीं होता ।
		चता हूा	VI.	रक्षा सेवामों की निग	य याउच्च श्रेणी		

रक्षा सेवाश्रों की निम्नतर विरचनाम्रों में समरूप, समतुल्य या उच्चतर श्रेणी में सेवा करने वाले व्यक्तियों

में से ।

1	<u>-</u> -		 1	· ·			-
्र न क्ष्णान वीस श्रेणी (स्तर 2)	1 1	न्धा संवाद्रा सं सिवि वियन वर्ग । द्वराज- पहित द्वनौद्यागिक, घननसचित्रीय ।	425-15 500 द गुरु 15 500-20 700 हरू	•	 1 % — 30 वर्ष	मे न क मै <i>दिृष्</i> रि	
नक्ष्णानश्रीम श्रेणी	2 6	रक्षा सेवाद्या में सिवि लियन येश ⊰, घराज पवित भ्रनौद्यागिक, घननसचिबीय ।	330-10-350 ব বাঁ০-12-500-ব০ বাঁ০-15-560 চ০	,	1९- ८० वप	त्रिसी मान्य नश्रीसी	ताप्राप्त सस्यान सः नक्का- मे डिप्लामा सहित मैट्रिक इस श्रणी मे ६१ व्रष्ट का
10. नस्#्रानदीस श्रेणी ⊰ (श्रन रेखक स्तर 1)	16	रक्षा सेत्राक्रो म सिविजियन यगे ३, क्रगाजनिक्षम श्रनी धौगित ग्रनन् सिविधीय ।	260-3 300 로o 오 310-10 3 로o카o~10-4		1९25 विध	विसी मार	यताप्राप्त सम्थान से नक्ष्या- मे डिप्लामा सहित भैदिक ।
112 श्यामाज	-	रक्षा सेवाओं म सिवि- लियन वर ⊰ ग्रराज पत्तिस श्र नीषो गिक ग्रननुसचिबीय । 	210-4-226 ইং 4-2১(-ইংস্) 290 হেও	>रों∘- धचयन पद >- 	1९25 यम	सम्थान	त स्तर। किसी मान्यता प्राप्त मे व्यापार मे प्रमाण- गमाज व रूप मे ८ ग्रमुभव।
9	9		 10	11		1 2	13
आयुनही प्रहेनाएंहा प्रायुनही प्रहेनाहा	2 वर्ष 2 वर्ष	पर स्थान दानो के न भर्ती द्वारा प्रोप्तनि द्वारा (जिसके न हो सकने	प्रोन्नति एसे श्रेणी 2 नक्शानः उस श्रेणी मे अवर्ष स्थानातरण : रक्षा मेवाद्यो की निम् मे समक्ष्य, समतु श्रेणी मे कार्य कर्य मे से । प्रोन्नति	सेवाहो। जनरविरघनाधी एय या उच्चनर जो वाने व्यक्तियो	कर्ग । विभागीय प्रोक्षति समिति वर्ग । विभागीय प्राव्ति समिति	लाग नही होना लागू नही होना
and the Co			हो सकते पर सीधी	उस श्रेणी मे उनके स्थानातरण ' रक्षा सेनाम्रो की निम् मे समरूप, समतु श्रेणी मे सेवा कर	मेवाकी हा। नगर विरचनाभा ल्याया उक्चनम		
श्रायुनरी श्र∲नाणहा	∠ কর্ব	सकन द्वारा !	ारा, जिसके न हो पर स्थानातरण ग्रौरदोनों के न हो पर सीधी भर्ती।	प्रोन्नति । फेसे श्रेणी 4 नक्णानवी उस श्रेणी मे 3 वर्षे स्थानान्तरण : रक्षा सेवाम्रो की निम्न मे समरूप, सम् श्रेणी मे सेवा करने से ।	सेवाहा। तर विरक्षनाम्रो तुल्य या उच्चतम	वर्षः उविभागीय प्राप्तिति समिति	लागृ नहीं होता
लागू नहीं होता	<u> </u>		ण द्वारा, जिसके किसे पर सीधी ग।	स्थानान्तरण . रक्षा सेवामी की निम् मे समक्ष्प, ममतुः श्रेणी मे सेवा करने से ।	रूप या उ च्च तर	लाग नहीं होता	लागृनहीं हासा

1	2		3	4	5	б	7	,
12. नक्शानबीस श्रेणी 4	l		वर्ग 3, ग्न, भ्रनी- भ्रनन्-	110 3-131 4-1 (पूर्व पुनरीक्षित		1825 अर्षे		मतुल्य तथा न म्शान कीमी स्त्राया ड्राइग मे उच्चतर
13. टाइपराइटर यात्रिक	6	रक्षा सेवा	फ्रो मे यन वर्ग उ वत,श्रनी भन नु	260-6-326-द ् रो 3, 8-350 ह०	o- ग्रचयत	1 श 2 5 वर्ष	लिखना (ख) टाइपा 2 वर्षे वाछनीय : टाइपराइटर	ंश्रौर हिन्दी पढनाश्रौर ं जानता हो। इटटर यात्रिक के रूप में तक काम कर चुकाहो। याविक के रूप में प्रमाणपत्न।
14. काष्ठकार	4		ग्र ननु-	210-4-22(৮ব০ই 4-250-ব০ই)০ 5-290 হ০	ोट- लाग् नहीं होती	1825 वर्ष	ग्रावण्यक सिडिल स्क्ल तथा का	स्तर महित प्रमाणपे ण ठकार के स्प र्मे याउ वर्षका घनुभव ।
15. लेखाकार		रक्षा सेट सिविलिय ध्रराजपरि	ाम्रो में न वर्ग ३, त मनौ- ननुसचित्रीय	330-10-380-द० रो०-12-500- द०रो०-15-56 प ह०		1825 वर्ष		ाप्राप्त विश्वविद्यालय से स्था ले खाकर्म का ज्ञान
8		9		10	1	1	12	13
म्रायुनही महेताहां		2 वर्ष	स क ने आरा	द्वारा, जिसके न हो पर स्थानान्तरण और दोनों के न हो पर मीधी भर्ती ।	प्रोश्निति : ऐसे कलाकारो या पोस् या माडल बनाने व उस श्रेणी मे 3 वर्ष स्थानान्तरण : रक्षा सेवाश्रो की निम्नतः समक्ष्य, समतुल्य य मे सेवा करने वाले	टर क्रनाने वालों ालों में से जिनकी की सेवा हो। गरविरचनाम्रो में ाउच्यतर श्रेणी	वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति ममिति ।	लागू नहीं हौता
लागूनही होता		2 वर्ष		रण द्वारा, जिसके न कने पर सीधी भर्ती ।	स्थानान्तरण : रक्षा सेवाम्रो की निस्न में समस्प, समतु श्रेणी में सेवा करने थ	नतर विरचनाश्रो ल्याया उच्चतर	लाग् नहीं होता	लागृ नहीं होता
लाग नहीं होता		2 वर्ष		रगद्वारः, जिसकेन नेपरमोबी भर्नी	स्थानां सरणः रक्षाः सेवाक्रो की निम् में समक्ष्प, समतुर्वे श्रेणी में मेवा करण् में में।	यया उच्चतर	लागू न ही होता	लागू नहीं होता
मायु-—तही म्रहेता–∼हां		2 वर्ष	हो स द्रा न है	द्वारा, जिसके न : कने पर स्थानांतरण रा फ्रौर दोनो के । सकने पर सोधी क्वारा ।	ऐसे निम्न श्रेणी लिपि		वर्ग उ विभागीय प्रोन्नति मामिति	श्रागू नहीं होता
			मता	g1*1 1	स्थानांतरण : रक्षा सेवाओं की निम्न में समरूप, समतुः श्रेणी में सेवा कर में से।	ल्थया उच्चतर		

	पदों की	. —–— — वर्गीकरण	=====================================	——	 सीधे भर्ती किये	जाने सीधे धर्नी वि	— कए जाने वाले व्यक्तियी
पदिकानाम	पदा का संख्या	वगाकरण	वत्त्रान	भवन पद अस्या श्र च यन पद	साथ नेता किय जाले व्यक्तियों के धायु-सीमा		ांशिक और झन्य झई
1			4		6		7
				—— —— -— बतुर्थक्षेणी पव			
]. वस्कमाद्दजर	1 रक्षारे	नवाद्यों में सिवि-	196-3-220-द०र	~	1 8 2.5 व र्ष	प्राईमरी परी	क्षा उत्तीर्ण
	स्र	त्यन वर्ग 4 राजपन्नित भ्रनौ- ोगिक भ्रमसुसचि- ोय	3-232 ¥o				
2 . उपस्क र	4 रक्षा	सेवाम्रामें सिवि-	200-3-206-4-	लागृनही हाना	1 8 2 5 वर्ष		की सिलाई में प्रभाणपक्ष
मरम्मतकर्ना	ग्र र	लयन वर्ग । रगजपत्रित प्रनौ- प्रेगिक ग्रननु- प्रविवीय	2,34-द०गे०- 2,50 ५०	4~		(ख) मोची ग्रनुभक	के रूप में 2 वर्ष का
3. बृद्ध मरम्मत	14 रक्षा	सेवास्रो मे	200 3 206 4 2.	34- सागू नहीं झाता	18 25 वर्ष	(कः) चम डे	की सिलाई में प्रमाण-
कर्सा।	•	पित्रलियन वर्ग 4	द ०रो०-4-250) र ०		पन्न ।	
	च	ाराजपन्नित्त श्रनौ- ौरिंगक श्रननुः चित्रीयः।				(श्रा) मोची का धनुभ	के रूप मे 2 वर्ष वं।
1. रक्षाङ्या	fः श्र स	मेत्राग्रा में पर्विलयन तर्ग 4 राजपत्नित भनौ- गैगिक भननु- चित्रीय ।	200-3-206-4-25 देवरोव-4-250		1825 जयं	भारतीय पक्र	शान बनाने की ज्ञान ।
रीिंग्ने भर्ती किए जाने जाले व्यक्तियों के लिए विहित श्रायु श्रीर गैक्षिक श्रहेताए प्रोन्नती की दशा में लागू होगी या नही		हि या प्रोन्नति नियुक्ति /स्था विभिन्न पद्धा	ति/भर्ती सीधे होगी द्वारा या प्रति- नान्तरण द्वारा तथा तेयो द्वारा भरी रिक्तियो का प्रति-	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दणा जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिकि न्तरण किया जाएगा।	में वे श्रेणिया र	ति विभागीय प्रोप्ति प्रमिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लाक सेत्रा श्रायांग से परामर्श किया जाएगा ।
		,	10				13
भागू नहीं होता ।	2 বহ	न हो	— — — . ण द्वारा, जिसके सकते पर सीधी	स्थानातरण रक्षा मेवाग्रो मे निम्नत		ाग् नहीं होता	लागृनही होता
		भर्ती द्वा		मे समरूप, समतुरूप श्रेणी में सेत्रा करने में से।	। या उ च्चत र		
लागू नहीं होता ।	2 वर्ष	र्क स्थानातर न हो		मे सम*प, समतुरूय श्रेणी में सेवाकरने	ा या उच्चतर वाले व्यक्तियो सा सा तर विरचनाम्रो ाया उच्चतर	गूनही होता	लागू नहीं होता
लागू नही होता । लागू नही होता ।	2 वर्ष 2 वर्ष	र्द स्थानातर न हो भर्ती र्घ । स्थानान्तर	रा। ण द्वारा, जिसके सकने पर सीधी द्वारा। णद्वारा,जिसकेन ज्वारासधी भर्ती	मे समक्ष्य, समतुस्य श्रेणी में सेत्रा करने में से। स्थानातरण रक्षा सेवाग्रो की निम्नत में समक्ष्य, समतुस्य श्रेणी में सेवा	ा या उच्चतर वाले व्यक्तियो सा तर विरचनाम्रो स्या उच्चतर करने वाले स्वार र विरचनाम्रोमे उच्चतर सेवामे		लागूनही होता लागृनही होता ।

- S.R.O. 202.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class III and Class IV posts in the Military Training Directorate under the Ministry of Defence, namely:—
- 1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Military Training Directorate (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1975.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2 Application.—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.
- 3. Number of posts, Classification and Scale of Pay.—The number of the said posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

(Vlassification

- 5. Disqualifications. -- No person, --
- (a) who has entered into, or contracted, a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into, or contracted, a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided, that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other specified categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government in this regard.

Court E.

SCHEDULE

1775-141 ---

Cools of ...

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of p	nay	Whether selection or non-selection	Age for recruit			onal and other qualifica quired for direct recruit
l	5	3	4		5	6		<u> </u>	7
1. Assistant Master (Art/Drawing)	(1	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs. 440-15-51 15-560-20-7 25-750.		Not applicable	t830 ye	(b) J	tion sity Diploma Arts a Desirable (i) Profic ii) Profic (ii) Expe	Secondary examina of a recognised Univer or Board. It in Drawing and Paintin of Crafts.
Whether age and educational qualifications for direct recruits apply in case of promotees	Period probation if any	transfer and of vacancies	recruitment, on, deputation d percentage s to be filled as methods	motior which	of recruitment, transfer, grappromotions of transfers to	des from r deputa- be made	mental l	Promo- mittee hat is	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9		10		11		12		13
Clas	s III Post	s		Transf	er ;				
Not applicable	2 years	By transfer by direct	failing which recruitment.	in t	s working in valent or high ne lower form ence Scrvices.		Not appli	cable	Not applicable.

t	2	3	4		5	6		7	
2. Assistant Master (Manual Train- ing/Handicraft)	5	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial	Rs. 440-15-515 15-560-20-7 25-750.		Not applicable	18- - 30 ye		nised Unive Dinloma i (Wood Woo	ndary of a recog ersity or Board in handicrafts rk. Clay model- t stone carving)
		Non-Ministerial					(i (ii	Desirable:) Proficiency is) Proficiency is	n English.
3. Assistant Master	50	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs. 440-15-515 15-560-20-7 25-750		Not applicable	21—35 ye		versity with degree in To Course.	recognised Uni a recognised eachers' Training teaching expe
							(b (c)) Post graduat) Proficiency in Proficiency in) Extra currien	n English. 1 games.
4. Hostel Super- intendent	10	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs. 425-15-500 15-560-20-7		Selection	21—35 y	cars De De (a) (b)	tel, c) Proficioncy l) Ability to co	-
5. Matron	10	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial		5 0-2 5-	Not applicable	21—35 y	(t	lent examin nised Univ o) Diploma in e) Experience	ondary or equiva lation of a recogn tersity or Board I Home Science as a Nurse at a lor a minimum
								Desirable : 1) Proficiency i 2) One year's catering.	in English
	9			_I	 1		- 1 2		
Not applicable	2 years		failing which ecruitment.	Person equiv in th	isfer: s working invalent, or higher lower formence Services.	her grade	Not applica	able Not ap	plicable.
Not applicable	2 years		failing which recruitment.	equi in th	fer: as serving invalent or higher lower formence Services.	her grade lations of	Not applica	able Not ap	plicable.
No	2 years	which by	transfer and oth, by direct	7 ye: Transf Person equi in	Division cle ars' service in	the grade. n similar her grade	∪ lass III Departm Promotic Committ	nental on	oplicable.
Not applicable	2 years	By transfer by direct	failing which recruitment.	equis in	er: s serving ir valent or hig lower forma ence Services.	her grade	Not applica	able Not ap	plicable.

1	2	3	4		5 '	<u>-</u>	6		7	
6. Hospital Matron	I	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs. 550-20-650 750.)-25	Not applicable	21—35	years	of Ba (b) Sh (c) Sh	Fisential: atriculation or equive a recognised Universional tould be a qualified Maiould have five years erience as a Nursing a hospital.	ity o atror
7. Head Draughts- man (Draughtsman Level IV)	I	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs 550-20-650- 750.	-25-	Selection	18—25 y	e 175		in Lingineering or valent.	it
8. Draughtsman Grade I (Level II)	1	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs 425-15-500 15-560-20-70		Non- Selection post	1830 y	ears/	Drau nisec	plate with Diploma ghtsmanship from a re institute with 5 yer cience in the grade.	cog-
9 Draughtsman Grade II	6	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs 330-10-380- 12-500-EB-15-		Non- Selection Pqst	18—25 y	ears	Drau		В
10 Draughtsman Grade III (Tracer Level I)	16	Civilians in Defence Services Class III Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	Rs 260-8-300- 8-340-10-380 430		Non- Selection post	18—25	ycar\ 	Drau	ulate with Diploma ghtsmanship from a ised institute.	, in re-
8	- 9				-11 -		12			- -
Not applicable			alling which F	equi∨a in lo	serving in lent or high wer format se Services	er grade	Not app	 blicable	Not applicable.	
No	2 years		on failing E ransfer and y h by direct 1	rear's se Pransfer Persons equiva in lo	man Grade	grade. Similar, er grade	Depar Prom	tmental	Not applicable.	
Age—No Qualifications—Yes	2 years	By promot which by tra failing both recruitment.	ion failing I insfer and N by direct T Per e ir	rears' se 'ransfer sons se quivaler i lowe	smun Grade	grade. milar, grade	Class 1 Departs Promot Commit	mental ion	Not applicable,	
Age —No Qualifications—Yes	2 years	By promot which by to failing both cruitment.	tansfer and I by direct re-	3 years Fransfer Persons equiva in the	sman Grade service in th	similar, ei grade tions of	Class Depart Promot Cemmi		Not applicable	
Aga—N 1 Qualificatons—Yes	2 years	By prompti which by t failing both t cruitment	ransfer and I by directic-	Tomotic Draught 3 years Fransfer Persons equiva in the	on: sman Grade Service in th	IV with ne grade. simular, or grade mations		ion	Not applicable.	

EC.	т]		THE GAZET	= =		,0112 ,,		· == == :== :==	
1	·	2	3	4	<u>-</u>	3	6		, , ,
1 Pa	iinter	5	Civilians in Defence Services Class III Non- gazetted Non- Industrial Non- Ministerial	Defence Services 4-250-EB-5-290 Class III Non- gazetted Non- Industrial Non-		Non- Selection post	18-25 year	ficate recogni	school Standard, Certi- in the trade from a sed institute or 3 experience as painter.
	raughtsm a n rade IV	1	Civilians in Defence Services Class III Non- gazetted Non- Industrial Non- Ministerial	Rs. 110-3-131 155 (Pre-revis		Non- Selection	18-25 yea	certific	ation or equivalent with ate in Draughtsman or higher certificate in ng.
	ypewriter Iechanie	6	Civilians in Defence Services Class III Non- gazetted Non- Industrial Non- Ministerial.	Rs. 260-6-326 8-350	5-E B-	Non- selection	18-25 yea	(a) Read Hind (b) Shot year nic. Desirabl Certifica	uld have worked for 2 is as Typewriter Mecha le
14 C	arpenter	4	Civilians in Defence Services Class III Non- gazetted Non- Industrial Non- Ministerial.	Rs. 210-4-226 4-250-EB-5-29		Not- applicable,	18-25 yea	rs. Middle certific	School Standard with rate or 3 years' experi s a carpenter.
15 A	ecountant	3	Civilians in Defence Services Class III Non- gazetted Non- Industrial Non- Ministerial.	Rs. 330-10-38 12-500-F,B-15		Selection	18-25 yea	rs Degree o with tancy	of a recognised University a knowledge of accoun
<u></u>	8	9		10		11		12	
Not	applicable.	2 years	By transfer by direct red	failing which cruitment.	Person equi in lo	nsfer: s serving it valent or hig wer formatio e Services.	her grade	Not applicable	Not applicable.
Age- Qual tions	lifica-	2 years	which by tra	tion failing nsfer and fai- by direct re-	ler wathe garansfe Person equi in the	Poster Make vith 3 years' : grade,	service in n similar her grade	Class III Departmental Promotion Committee.	Not applicable.
Nət	applicable	2 years	By transfer by direct re-	failing which cruitment.	Transfo Person equi in lo		her grade	Not applicable	Not applicable.
No!	applicable	2 years	By transfer by direct re	failing which cruitment.	Transf Person equi		ther grade nations of	Not applicable	Not applicable
Age Qua tion	lifica-	2 years		tion failing transfer and t by direct re-	Lower 5 years Transt Person equ in	Division Cl s' service in	similar, gher grade ormations	Class III De- partmental Pro- motion Com- mittee	Not applicable.
~						Class IV Pos	 st		
· -—		2	3	4	·- ·-		6		7
1 '	Vulcaniser	1	Civilians in Defence Service Class IV Non- gazetted Non- Industrial Non- Ministerial,	Rs. 196-3-22 s 3-232.	:0-LB-	Non- Selection	18-25,yc	ars Primary	pass.

336		AZETTE OF INI	DIA : JU	NI: /, 19/5/JIA	 121 HW 1	7, 1897	PART II
8	9	10		11		12	13
Not applicable	2 years	By transfer fail by direct rectuit		Transfer: Persons serving in equivalent or high in lower forma Defence Service	similar, per grade tions of	Not applicable	Not applicable
1-	2			5	$-\frac{1}{6}$		<u> </u>
2 L quipment Repairer.	4	Civilians in R: Defence Services Class IV Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial.		6-4-234-FB- Not applicable	18-25 yea	(b) 2	Certificate in leather stit- ning. years' experience as a obblei
3 Boot Repairer	14	Civiltans in Rs Defence Services Class IV Non-gazetted Non-Industrial Non-Ministerial	s. 200-3-206 B-4-250	i-4-234- Not applicable	18-25 year	ch (b) Tv	ertificate in leather stit- ling wo years' experience as Cobbler.
4 Cook	56	Civilians in Red Defence Services El Class IV Nongazetted Non-Industrial Non-Ministerial.	s, 200-3-206 B-4-250,	5-4-234- Non- selection	18-25 year		ledge of cooking Indian ishes.
	<u>-</u>						
Not applicable	years	By transfer faili by direct recruit	ing which ment	Transfer: Persons serving in equivalent or high in lower format Defence Services.	similar, or grade	Not applicable	
Not applicable	2 years	By transfer faili by direct recruit		Transfer: Persons serving in equivalent or high in lower format Defence services	similar, er grade ions of	Not applicable	Not applicable
Not applicable	2 years	By transfer faili by direct recruit ,		Transfer: Persons serving in equivalent or high in the lower forms Defence Services.	similar er grade	Not applicable	Nqt applicable

कार्शन व्यार 203 — राष्ट्रपति, सर्विधान के धनुष्केद 309 के परन्तुक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, सैनिक इंजीनियरी महाविद्यालय, दायोती, पुणे-1 में कलाकर एवं फोटोग्राफर के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, प्रायीत् ---

- 1. सक्षिप्त नाम ग्रीर प्रारम्भ .--(1) इन नियमो का नाम सैनिक इजीनियरी महाविद्यालय, वापीदी पुणे (कलाकार एव फोटोग्राफर) भर्ती नियम, 1975 है।
 - (2) ये राजपन्न में प्रकाणन की तारीख को प्रवृत्त होगे।
- 2. पद-सख्या, प्रर्गीयरण ध्रीर वेतनमान .-- उक्त पदो का सख्या, उनका वर्गीकरण श्रीर उनके वेतनमान वे होगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्विष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धनि, ग्रायु-सीमा, ग्रर्हताए ग्रौर ग्रन्थ जाते .---उक्त पदो पर भर्ती की पद्धनि, ग्रायु-सीमा, ग्रर्हताए ग्रौर उनसे सम्बन्धिन मन्य साने वे होगी जो उक्त प्रनुसूची में स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिदिष्ट हैं।
 - ्। निरहेताण.—वह व्यक्ति—
 - (क) जिसने ऐसे ध्यक्ति से जिसका पतिया जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (खा) जिसने ग्रपने पति या ग्रपनी पत्नी के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ,
 - उक्त पदो में से किसी पर सेवानियुक्ति कापात्र नहीं होंगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के भ्रन्य पक्षकार को लाग् स्वीय विधि के अधीन अनु-क्रोय है और ऐसा करने के लिये प्रत्य ग्राधार मौजूद है तो वह फिसी व्यक्ति इस नियम के प्रवर्तन से खूट देसकेगी।

- ५ शिथिल करने की शक्ति.—जहा केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना श्रावण्यक या समीबीन है, वहां वह, उसके लिये जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रथर्ग के व्यक्तियों की बाबत, ग्रादेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।
- 6. ब्यावृत्ति .--इन नियमो की कोई भी बालमा से ऐरक्षणों भौर भ्रम्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाल गये प्रादेशों के प्रनुसार प्रनुसूचित जातियो, प्रनुसूचित जनजातियों और प्रन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना भ्रमेक्षित है।

भ्रनु स् ची										
पद का नाम 🕽	पदों की संख्या	वर्गीकर	ग	येतनमान *	घयन पर्व ग्रथका श्रवयन पद	सीधे भर्ती कि वाले व्यक्तियं ग्रायुसीमा		क्ये जाने वाले व्यक्तिये गैक्षिक और श्रन्य श्रर्हताण		
1	2	3		4	5	6		,		
कक्षाकार एवं फोटो- ग्राफर ।	1		न, वर्ग 3, बत, ग्रननु- ग्रमौ-	335-15-425 रु (पुनरीक्षण पूर्व)	चयन	1825 वर्ष	(ख) किसी फोटोचिब्र फिसी मान्यत चित्रण स डिप्लोमा (ग) फोटोपि	व्यासमतुल्य। मान्यताप्राप्त सस्थान से ण में डिप्लोमा। या गप्राप्त संस्थान से फोटो- हित ललित कला मे । विज्ञण में कम से कम उ		
सीधे भर्ती किये जाने व्यक्तियों के लिये वि ग्रौर शैक्षिक ग्रईताएं! देशा में लागू होंगी या व	हित भ्रायु गोस्नति की	परिवीक्षा, की श्रवधि यदि कोई हो	होगी या प्रतिनियु इ.स. तथ द्वाराभरी	पद्धति/भर्ती सीधे प्रोक्षति द्वारा या क्ति/स्थानान्तरण ग निभिन्न पद्धतियो जानेवाली रिक्तियों प्रतिणत ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थ भर्ती की दशा में वे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थ जायेगा	श्रेणियां जिनसे	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना			
8		9		10	11		12	13		
श्रायु—नही श्रहंताए—मैट्रिक या समतुल्य	1	दो वर्ष	सकने प द्वारा, ट	रा जिसके न हो र स्थानान्तरण रोनों के न हो र सीधी भर्ती	प्रोप्तति फोटोग्राफर जिन्होने उस सेवा की हो । स्थानन्तरण रक्षा सेवाम्रो के निम्न गमरूप या समदुल्य मे कार्य करने वाले	ा विरचनाम्रो में या उच्च श्रेणी	वर्ग 3, विभागीय प्रोन्नति ममिति ।	लागू नही होता ।		

ए० एस० बेदी, भवर सचित्र

S.R.O. 203.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Artist-Cum-Photographer in the College of Military Engineering, DAPODI, PUNE-1 namely:—

- 1. Short Title and Commencement—(1) These rules may be called the College of Military Engineering Dapodi, Pune-1 (Artist-Cum-Photographer) Recruitment Rules 1975.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of Posts, Classification and Scale of Pay—The number of the said posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.
- 3. Method of Recruitment, Age Limit and Qualifications Etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.
 - 4. Disqualifications-No person-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 31 GI/75-3.

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such a person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

- 5. Power to Relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

			SCHEDULE			
No. of posts	Classification	Scale of pay	selectic post non-se	on direct re or lec-	t for Educ cruits tions	ational and other qualifica- required for direct recruits
2	. 3		4	5	6	7
	Defence Services Class III Non- Gazetted Non-			ion 18-25 y	(b)	Marticulation or equivalent Diploma in Photography from a recognised institute or Diploma in Fine Arts with Photography from a recognised Institute. Must have min imum 3 years experience in photo graphy.
	whether by cruitment or tion or trans centage of v	direct re- by promo- fer and per- vacancies to	motion transfe	r, grades from	tal Promoti Committee c	on Union Public Service xi- Commission is to be
9		10		11	12	13
Two y e ars	which by tra	ansfer, and	Photographers service in the Transfer.: Persons worki	grade.	partmental imotion Co mittee.	
	Period probation if any	2 3 I Civilians in Defence Services Class III Non-Gazetted Non-Ministernal, Non-Industrial. Period of probation if any cruitment or tion or trans centage of whether by cruitment or tion or trans centage of whether by hods. 9 Two By promotion which by transiting both	Period of Defence Services (Pre-revised) Class III Non-Gazetted Non-Ministerial, Non-Industrial. Period of probation if any cruitment or by promotion or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods. 9 10 Two By promotion, failing which by transfer, and failing both, by direct	No. of Classification Scale of pay Whether selection posts non-section post non-section post non-section post. 1 Civilians in Rs. 335-15-425. Select Defence Services (Pre-revised) Class III Non-Gazetted Non-Ministerial, Non-Industrial. Period of probation whether by direct recruitment or by promotion or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods. 9 10 Two By promotion, failing which by transfer, and failing both, by direct recruitment. Promotion: Promotion: Promotion: Promotion: Promotion: Photographers service in the Transfer:	No. of posts Classification Scale of pay Scale of pay selection post or non-selection post or non-selection post or non-selection post Classification Scale of pay Scale of pay selection post or non-selection post or non-selection post Classification Scale of pay Scale of pay Scale of pay selection post or non-selection post. The proposition post or non-selection post or non-selection post. The proposition post or non-selecti	No. of posts Classification post Scale of pay Whether selection post or non-selection post or non-selection post

A. S. BEDI, Under Secy

नई दिल्ली, 27 मई, 1975

का० नि० मा० 204 — केन्द्रीय गरकार पूर्व विन्यास अधि-नियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 मीर 5 द्वारा प्रदत्त णिक्तयों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय सैनिक, नौसैनिक श्रीर वायुसैनिक बोर्ड के, तथा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्गटन ग्रीर पुनर्वाम के लिए विशेष निधि के सिषय द्वारा किये गए आवेदन पर, श्रीर उक्त सिचव की सहमति से भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्गटन ग्रीर पुनर्वास के लिए विशेष निधि के प्रशासन के लिए बनाई गई श्रीर भारत सरकार के रक्षा मलालय की अधिमूचना सं० का० नि० आ० 234, तारीख 27 सितम्बर, 1966 में प्रकाशित स्कीम में श्रीर उपान्तरण करने के लिए निम्निखित संशोधन, राजपल में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से करती हैं, अर्थात्ः—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची (ख) में उपवर्णित स्कीम में, पैरा 2 के खण्ड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् ---

भूतपूर्व सैनिको के म्राधितों श्रीर सेवा के मृत अधिकारियों के बालकों को, 25 वर्ष की अधिकतम आयु तक, तकनीको ,व्यावसायिक या कृषि सिक्षा में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों में, हाई स्कूल या उच्चतर माध्यमिक स्तर के आगे भारत में उच्चतर अध्ययन के लिए, छाल्रवृत्तियों या अनुदान मंजूर करना, प्राप्तकर्ताश्रों द्वारा ऐसे अध्ययनों के पाठ्यकर्मों में समाधानप्रद रूप में कार्य करने पर ही ऐसी छाल्रवृत्तियां मंजूर अधिकाएंगी।

[फा० सं० 7(2)/75/डी० (आर ई एस)] के०वी० रमणमूर्ति, उप-सचिव

New Delhi, the 27th May, 1975

S.O. 204.—In exercise of the powers conferred by sections 4 and 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), and on the application made by the Secretary of the Indian Soldiers' Sailors' and Airmen's Board and of the Special Fund for Reconstruction and Rehabilitation of Ex-servicemen, and with the concurrence of the said Secretary, the Central Government hereby makes with effect from the date of publication of this notification in the official gazette, the following amendments further to modify the Scheme settled for the administration of the Special Fund for Reconstruction and Rehabilitation of Ex-servicemen and published with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. No. 234, dated the 27th September, 1966, namely:—

In the Scheme set forth in Schedule 'B' of the said notification for clause (iii) of paragraph 2, the following clause shall be substituted, namely:

"(iii) to sanction scholarships or grants to dependents of ex-servicemen and children of deceased service officers, upto the maximum age of 25 years, for higher studies in India, beyond high school or higher secondary stage in technical, vocational or agricultural education, at Government recognised institutes, the sanction of such scholarships being subject to satisfactory performance in such courses of studies by the recipients."

[F. No. 7(2)/75/D(R.E.S.)]

K. V. RAMANAMURTHI, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 31 मई, 1975

का**ं नि**ं ग्रा॰ 20 5 --- राष्ट्रपति, संविधान के श्रनुच्छेद 30 9 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना (वर्ग 1 राजपन्नित पद) भर्ती नियम, 1969 में, श्रीर संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, श्रयांत:-

- (1) इन नियमों का नाम नौसेना (धर्ग 1 राजपित्रत पद) भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1975 है।
 - (2) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवस होंगे।
- नौसेना (वर्ग 1 राजपवित पद) भर्ती नियम, 1969 की प्रनुसूची में--
- (i) "उपनिदेशक, सिविलियन कार्मिक" के पद से संबंधित ऋम संख्यांक 1 के सामन,--
 - (क) स्तंभ 1 में "उपनिवेशक, सिविलियन कार्मिक" एब्बों के स्थान पर "उपनिवेशक सिविलियन कार्मिक, नौसेना मुख्यालय" शब्व रखे जायेंगे;
 - (ख) स्तंभ 4 में की प्रविष्टि के स्थान पर "1100-50-1400 रु०" प्रविष्टि रखी जाएगी;
 - (ग) स्तंभ 11 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायेगीं, मर्थात् :--

"प्रोन्नति :

- (i) कार्मिक प्रवधक;
- (ii) प्रशासनिक भ्रधिकारी, नौसेना डाकयांर्ड, सुम्बई ;
- (iii) स्टाफ म्राफिसर (प्रशिक्षण);

जिन्होंने प्रपत्ती-प्रपत्ती श्रेणी में नियमित भ्राधार पर नियुक्ति के पक्तातृ तीन वर्ष सेवा की हो।"

कार्मिक प्रबंधक, प्रशासनिक प्रधिकारी और स्टाफ ग्राफिसर (प्रणिक्षण) 3. नौसेना मुख्यालय के पदों से संबंधित कमणः कम संख्यांक 2 (क) और (ख) भीर 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा अर्थात्:--

धनुसूची]

पद कानाम	पदों भी संख्या	- वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद श्रथवा श्रचयन पद	सीधे भर्ती किये वाले व्यक्तियों के प्रायु-सीमा		केये जाने वाले व्यक्तियों के क श्रौर ग्रन्य ग्रहेताएं
- 1	2	3	4	5	6		7
"2 (क) कार्मिक प्रबंधक-2 (ख) प्रणासनिक ग्रिकिशारी-1 नी- सैनिक डाकयार्ड मंबई (ग) स्टाफश्राफिसर (प्रशिक्षण)-1	व 	क्षा सेवा में सिविलियन र्ग 1 राजपितत	1100-50-1600 (पुनरोक्षित)	-६० जयन	लागू न	ही होता	सागू नहीं होता -
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित श्रायु भीर शैक्षिक भ्रहेताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की यदि कोई हो	स्थानान्तरण हा	ाया प्रतिनियुक्ति/ रा सथा विभिन्न भरी जाने वाली		ायां जिनसे प्रोन्नति <i> </i>	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	ा भर्ती करने में किन परि- ा स्थितियों में संघ लोक सेवा घायोग से परामर्ण किया जाएगा
8	9	-	10	11		12	13
शागू नही होता -	2 वर्ष	प्रोन्न	ति द्वारा	संवितरण प्रा जिम्होंने भ्रप में नियमित ग		वर्गे 1 विभागीय प्रोत्निरि समिति	त संघ लोक सेवा श्रायोग (परामर्था से छूट) विनियम 1958 द्वारा यथा ग्रपेक्षित "

8 9 10 11 12 13

(ii) उपर्युक्त (i) के न हो सकने

पर ऐसे स्टाफ धाफिसर

(सिविलियन) या भारतीय

नौसैनिक संवितरण प्राधि—

कारी और सिविलियन राज-

(iii) उपयुक्त (i) भ्रौर (ii) के न हो मकेने पर ऐसे सिविलि-यन राजपितत अधिकारियों में से जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित भ्राधार पर नियुक्ति के पण्चात् 6 वर्ष सेवा की हो।

सेवाकी हो।

पतित श्रिविकारियों में से जिन्होंने सब को मिलाकर उन श्रेणियों में नियमित श्राधार पर नियक्ति के पश्चाल 6 वर्ष

[फा॰ संसी पी (डी पी सी)/2410]

New Delhi, the 31st May, 1975

- S.R.O. 205.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Navy (Class I Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1969, namely:—
 - (1) These rules may be called the Navy (Class I Gazetted Posts) Recruitment (Fourth Amendment) Rules, 1975.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Navy (Class I Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1969,—
 - (i) against Serial Number 1 relating to the post of Deputy Director of Civilian Personnel,—
 - (a) for the words "Deputy Director of Civilian Personnel" in column 1, the words "Deputy Director of Civilian Personnel, Naval Headquarters" shall be substituted;
 - (b) for the entry in column 4, the entry "Rs. 1100-50-1400" shall be substituted;

(c) for the entries in column 11, the following entries shall be substituted, namely:—

"Promotion

- (i) Personnel Manager;
- (ii) Administrative Officer, Naval Dockyard, Bombay;
- (iii) Staff Officer (Training);

with three years' service in the respective grades rendered after appointment thereto on a regular basis.";

(ii) for Serial Numbers 2(a) and (b) and 3, relating to the posts of Personnel Manager, Administrative Officer and Staff Officer (Training) 3, Naval HQ, respectively, the following shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits	Educational & other qualifi- cations required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
"2 (a) Personnel Manager (b) Administrative Officer, Naval Dockyard Bombay (c) Staff Officer (Training)	1	Civilian in Defonce Service Class I Gazetted	Rs. 1100-50-1600 (Revised)	Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	cations prescri- if any tment or by pro- or direct re- ruits will apply in & percentage of the he case of Promo-		n case of recruitment by pro- motion/deputation/transfer, grades from which promo- tion/deputation/transfer to be nade	If a DPC exists, what is its com- position	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment		
8	9	10	11	12	13		
Not applicable	2 years	By promotion	Promotion: (i) Staff Officer (Civilian) and Indian Naval Dis- tributing Authority with 3 years' service in the res- pective grade rendered after appointment there- to on a regular basis.	tion Commit-			
			(ii) Failing (i) above, 6 years' service in the grades of Staff Officer (Civilian) or Indian Naval Distributing Authority and Civilian Gazetted Officer combined together rendered after appointment thereto on a regular basis.				
			(iii) Failing (i) and (ii) above, Civilian Gazetted Offi- cers with 6 years' ser- vice in the grade ren- dered after appointment thereto on a regular basis.				

[File No. CP(DPC)2410/]

का॰ नि॰ ग्रा॰ 206—राष्ट्रपति संविधान के प्रनुष्छेद'' 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौसेना (वर्ग II राजपित्रत पद) भर्ती नियम 1969 में ग्रीर संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, ग्रर्थात् :---

- (1) इन नियमों का नाम नौसेना (वर्गे II राजपन्नित पद) भर्सी (संशोधन) नियम् 1975 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ को प्रवृत्त होंगे।
- 2 नौसेना (वर्ग II राजपन्नित पव) भर्सी नियम 1969 की धनुसूची में,---
- (1) नौसेना कार्यालय मुम्बई में स्टाफ श्रधिकारी श्रीर "भारतीय नौसेना संवितरण प्राधिकारी" पदों श्रीर उनसे संबंधित प्रविष्टियों से संबद्ध कमण: कम संख्याक 11 श्रीर 12 श्रीर उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाँएगा;
 - (2) कम संख्यांक 31 ग्रीर उससे संबंधित प्रविन्दियों के पश्चान् निम्नलिखित श्रन्तःस्थापित किया जाएगा, श्रयात:---

प्रनुसूची पदों की वर्गीकरण सीधे भर्ती किये जाने सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों पद का नाम वेतनमान चयन पद अथवा संख्या के लिये गैक्षिक भीर अन्य भईताएं ध्रचयन पद वाले व्यक्तियों के लिये **प्रायु-**सीमा 1 6 7 2.32 (क) स्टाफ ग्राफि- 1 े रक्षा सेवाभ्रों में सिविलि- 840-40-1000-द \circ अचयन लागु नही होता लाग नही होता सर (सिविलियन) 2 **यन वर्ग II राज**पद्मित रो०-40-1200 (ख) भारतीय नौ-भनु**सचि**षीय सनिक संवितरण प्राधिकारी (नौ-सेना मुख्यालय)

	रियोक्षाकी ह यदिकोई हो	या प्रोन्नति द्वा स्थानान्तरण पद्धतियों द्वार	ो पद्धति/भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति/प्रतिनियु ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ भर्ती की दशा मे वे व तरण द्वारा तथा विभिन्न प्रतिनियुक्ति/स्था ों द्वारा भरी जाने वाली ो का प्रतिशत ।		।यां जिनसे प्रोन्नति,	/ समिति है तो उसकी	ति भर्तीं करने में किन परि- ा स्थितियो में संघ क्षोक सेवा भ्रायोग से परा मर्ग किया जायेगा
8	9		10	1	1	12	13
सागू नही होता	2 বর্ণ	प्रीन्नति द्वारा			तन्होंने उस श्रेणी मे ार पर नियुक्ति वे अगकी हो ।	- समिति र	ाति संव लोक सेवा श्रायोग (परामर्थ से छ्ट) विनि- यम 1958 द्वारा यथा श्रपेक्षित।"
S.R.O. 206.—In proviso to article by makes the fol (Class II Gazetted 1. (1) These rul ted Posts	309 of the lowing ru Posts) Rec es may be	Constitution, the Constitution, the less further to cruitment Rules,	ne President he amend the Na 1969, namely y (Class II Gaz	re- ivy : — :et-	"Staff Office and "Indian	ers 11 and 12 rel r Civilians in the i Naval Distribution	एस॰ वेदी, भवर सचिव ating to the posts of Navy Office, Bombay' ng Authority'' respec- thereto shall be omit-
cation in	the Offic	o force on the dial Gazette.		(2)	After Serial thereto, the	Number 31 and following shall be	the entries relating e inserted, namely:
2. In the Sched Recruitment Rules	. 1969,—	: Navy (Class t	t Gazetted Po	SCHE	EDULE		
Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-select post	direct recr	t for Educational ults cations re recruits	and other qualifi- quired for direct
1	2	3	4	5		6 7	
Officer (Civilian)	1	Civilian in Defence Servico Class II Gazet- ted Non- Ministerial	Rs. 840-40-100 EB-40-1200.	0 Non- solection	Not applic	able. Not applica	ble.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period o probation if any		or by pro- mo deputation/ gr percentage do to be filled	case of rectt. by tion/deputation/tr ades from which p eputation/transfer	ansfer, whoromotion/ po	nat is its com- U.P.	mstances in which S.C. is to be consulted making reett.
8	9	10		11		12	13
Not applicable	2 years	By promotio		Promotion: Civilian Gazette with 3 years' so grade render appointment the regular basis.	d Officers revice in the treed after to	mental Promo- Ur ion Commit- Co c tion tio	required under the nion Public Service mmission (Exempostrom) Consultant) Regulations, 58."
							No. CP(DPC)/24101 S. BEDI, Under Secv.